भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड) **(RAILWAY BOARD)**

No.2017/E(O)II/41/11 New Delhi, dated 16/02/2018.

The CMD/MD, All Railway PSUs.
The Vice Chairman, RLDA, Chanakyapuri, New Delhi
The Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

Sub: Tenure of deputation of IR officers with Railway PSUs/Organizations

In the context of a large number of requests received by this Ministry from PSUs/ Autonomous Bodies under the administrative control of this Ministry for extension in deputation tenure of Railway officers beyond the 5th year, policy in this regard has been reviewed.

2. Extant instructions on the subject permit extension of deputation beyond the initial tenure only where absolutely necessary in public interest. In other words, such extensions should be made only in exceptional circumstances, with compelling reasons to do so. Instructions also stipulate that the borrowing organization should, in no case, retain an officer beyond the term of deputation sanctioned by the competent authority. Borrowing organizations are required to initiate sufficiently in advance the process to obtain extension of deputation tenure, or otherwise to fill up the vacancy, so as to ensure that no deputationist overstays the sanctioned tenure for want of a replacement.

3. Considering all aspects, it has been decided that the tenure of deputation of Railway officers with PSUs and other organizations may as a rule be restricted to five years.

4. Accordingly, deputation tenure of Railway officers beyond a period of 5 years at a stretch may not be processed. Borrowing organizations are requested to process repatriation of those officers who have already completed the sanctioned tenure of 5 years and in whose case no further extension has been approved by the Ministry.

(K. Gangadharan)
Director (Deputation)
Railway Board

Copy for information to:-
PS to Hon'ble MR/MOS(G)/MOS(S)
PSO to CRB & Board Members & DGs, all Addl. Members, PEDs, EDs of RB
General Managers, All Indian Railways & PUs, DG/RDSO
JS(G), JSC/P, EDE(N), JS, EDFE

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2017/ई(ओ)।।/41/11

नई दिल्ली, दिनांक 16 /02/2018

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम
उपाध्यक्ष, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
प्रबंध निदेशक, रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

विषय: रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों में भारतीय रेल के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के रेल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय को बड़ी संख्या में प्राप्त अनुरोधों के संदर्भ में, इससे संबंधित नीति की समीक्षा की गई है।

2. उपर्युक्त विषय पर मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, केवल जनहित में नितान्त आवश्यक होने पर आरंभिक अवधि से आगे प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा केवल बाध्य कारणों सहित आपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इन अनुदेशों में यह भी उल्लेख है कि आदाता संगठन द्वारा किसी भी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की अवधि से अधिक समय तक अधिकारी को अपने पास नहीं रोका जाना चाहिए। आदाता संगठनों को प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने अथवा अन्यथा रिक्ति को भरने से संबधित प्रक्रिया अग्रिम तौर पर उचित समय से आरंभ करनी भी अपेक्षित होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी को, प्रतिस्थापन की कमी के कारण स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक न रोका जाए।

3. सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों में कार्यरत रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को नियम के रूप में पांच वर्ष तक सीमित करने का विनिश्चय किया गया है।

4. तदनुसार, रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक बार में 5 वर्ष की अवधि से अधिक बढ़ाने पर कार्रवाई न की जाए। आदाता संगठनों से अनुरोध है कि जिन अधिकारियों द्वारा पहले ही 5 वर्ष की स्वीकृति अवधि पूरी कर ली गई है और जिनके मामले में इस मंत्रालय द्वारा अवधि को आगे बढ़ाने का अनुमोदन नहीं दिया गया है, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया आरंभ की जाए।

(के. गंगाधरन)
निदेशक (प्रतिनियुक्ति)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री (जी)/रेल राज्य मंत्री (एस) के निजी सचिव।
2. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं सभी बोर्ड सदस्य, महानिदेशक, अपर सदस्य, प्रधान कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक।
3. महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, महानिदेशक/अ.अ.मा.सं.
4. संयुक्त सचिव(जी), संयुक्त सचिव सी/पी, कार्यपालक निदेशक स्थापना(एन), संयुक्त सचिव, कार्यपालक निदेशक वित्त स्थापना

DEPUTATION